राजस्थान उच्च न्यायालय , जोधपुर

एस.बी. आपराधिक पुनरीक्षण याचिका संख्या 1543/2023

मोहम्मद अली खान पुत्र हाजी अब्दुल गनी, उम्र लगभग 75 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 25, मोहल्ला व्यापारियान, जिला, चूरू. (वर्तमान में जिला जेल, चूरू में बंद)

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, पीपी के माध्यम से

2. मेहबूब थीम पुत्र अब्दुल गफूर, निवासी व्यापारियों का मोहल्ला, वार्ड नंबर 25, चूरू

----प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता(गण) के लिए : श्री रामप्रकाश डूडी, श्री संजय बिश्नोई के लिए

प्रतिवादी(गण) के लिए : श्री पवन कुमार भाटी, पीपी श्री दीपक मेनारिया

माननीय श्री न्यायाधीश योगेन्द्र कुमार पुरोहित

आदेश

26/11/2024 को आरक्षित

29/11/2024 को उच्चारण किया गया

रिपोर्टेबल

01. निगरानीकर्ता अभियुक्त की ओर से यह निगरानी विद्वान अधीनस्थ न्यायालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, चुरू के आदेश दिनांक 19.08.2023 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है।

02. संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार से हैं कि दिनांक 07.08.2022 को मुस्तगीस महबूब थीम ने सरकारी अस्पताल पर लिखित रिपोर्ट पेश कर दिनांक 07.08.2022 को अपने पुत्र इकराम की हत्या का उल्लेख करते हुए घटना का विस्तृत विवरण दरख्वास्त में लिखकर दौलत सिंह, एफसी थाना पुलिस कोतवाली को दिया,

(Downloaded on 28/05/2025 at 01:50:39 PM)

जिसके द्वारा यह लिखित रिपोर्ट पुलिस थाना कोतवाली में प्रस्तुत करने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 221/2022 अंतर्गत धारा 307, 323, 341, 143, भारतीय दंड संहिता में दर्ज की गई। बाद तफ्तीश प्रार्थी अभियुक्त व पांच सहअभियुक्तगण के विरुद्ध चालान अंतर्गत धारा 302, 341, 148, 149, 120बी भारतीय दंड संहिता में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चुरू में पेश किया तथा शकील पुत्र मोहम्मद अली व बिलाल पुत्र रमजान के विरुद्ध पारा 173 (0) भारतीय बंड संहिता में अनुसंधान तबित होना रिपोर्ट में बताया गया है।

03. प्रकरण सेशन न्यायालय में कमिट होकर प्राप्त होने पर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, चुरू की ओर से बहस चार्ज सुनी जाकर आक्षेपित आदेश दिनांक 19.08.2023 के द्वारा प्रार्थी-अभियुक्त के विरुद्ध धारा 120बी, 147, 342/149, 302/149 भारतीय दंड संहिता में अपराध प्रथम दृष्टया बनना पाए जाने पर आरोप अलग से सुनाने जाने - का आदेश दिया गया और प्रार्थी अभियुक्त को धारा 120बी, 147, 342/149 व घारा 302/149 भारतीय दंड संहिता में अलग से आरोप विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त निगरानीकर्ता की ओर से अपराध से इनकार कर अन्वीक्षा चाही गई।

4. निगरानीकर्ता की ओर से आरोप के आदेश से व्यथित होकर जो निगरानी प्रस्तुत की गई, उसमें मुख्य रूप से यह आधार लिया गया कि सेशन न्यायालय द्वारा अपने आक्षेपित आदेश में ही यह माना गया है कि जिस स्थान पर मृतक के साथ मारपीट कर घटना कारित किए जाने की साक्ष्य आई है, उस स्थान पर प्रार्थी अभियुक्त मौजूद नहीं था, परंतु मारपीट की घटना के पूर्व सभी अभियुक्त प्रार्थी अभियुक्त के घर पर मौजूद होने और वहां से रवाना होने के प्रथम दृष्टया प्रमाण है। जब सेशन न्यायालय द्वारा घटनास्थल पर प्रार्थी-अभियुक्त का उपस्थित होना नहीं पाया गया, उस अवस्था में प्रार्थी-अभियुक्त घटना के समय विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य नहीं था। उस अवस्था में धारा 149 व धारा 147 भारतीय दंड संहिता के अपराध में चार्ज नहीं लगाया जा सकता है।

05. निगरानीकर्ता द्वारा अपनी निगरानी में यह भी आधार लिया कि धारा 120बी भारतीय दंड संहिता के संबंध में भी पर्याप्त साक्ष्य पत्रावली पर प्रथम दृष्टया उपलब्ध नहीं

(Downloaded on 28/05/2025 at 01:50:39 PM)

है। ऐसी अवस्था में धारा 120बी भारतीय दंड संहिता का चार्ज भी प्रार्थी-अभियुक्त पर नहीं लगाया जा सकता। अंत में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त कर प्रार्थी-अभियुक्त को उन्मोचित (डिस्चार्ज) किए जाने की प्रार्थना की गई।

06. बहस निगरानी सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी में उठाए गए आधारों को दौराने बहस तर्कों के रूप में प्रस्तुत किया और इस बात पर जोर दिया कि जब घटना कारित हुई, उस समय घटनास्थल पर प्रार्थी अभियुक्त मौजूद नहीं था, उस अवस्था में विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य नहीं होना प्रथम दृष्टया ही स्पष्ट है। ऐसी अवस्था में धारा 147, 342/149, 302/149 भारतीय दंड संहिता के आरोप से उन्मोचित (डिस्चार्ज) किए जाने का निवेदन किया और यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि इस मामले में आपराधिक षंड्यंत्र के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य नहीं है। फर्द जब्ती एक डीवीआर के आधार पर प्रार्थी अभियुक्त को अपराध में संलिप्त नहीं किया जा सकता। फर्द सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आपराधिक पंड्यंत्र में शामिल होना नहीं माना जा सकता। इस आधार पर धारा 120बी भारतीय दंड संहिता में भी उन्मोचित (डिस्चार्ज) किए जाने की प्रार्थना की।

07. विद्वान अधिवक्ता मुस्तगीस व विद्वान लोक अभियोजक की ओर से इसका सख्त विरोध किया और निगरानीकर्ता की निगरानी खारिज किए जाने का निवेदन किया।

08. मैंने उपरोक्त तर्कों पर मनन किया। पत्रावली का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया। इस मामले में सर्वप्रथम धारा 147, 342/149, 302/149 भारतीय दंड संहिता में जो चार्ज लगाए गए, वह प्रथम दृष्टया विधिसम्मत है अथवा नहीं, इस पर विचार किया जा रहा है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आक्षेपित आदेश दिनांकित 19.08.2023 में ही यह स्पष्ट किया है कि घटना के चश्मदीद साक्षी मोहम्मद अजीज व अब्दुल मजीद के धारा 161 सीआरपीसी के बयान के मुताबिक अभियुक्त समीर, साहिल, असीर व इमराम के नामों का उल्लेख आया है तथा इन चार व्यक्तियों द्वारा पाइप एवं सरियों, धारदार हथियार, तलवार, बरछी इत्यादि से दुकान में बैठे मृतक इकराम के पास आना, इमराम का भागकर पास स्थित मिठाई की दुकान में घुसना वहां से भागकर बाहर सड़क पर आना बताया गया है तथा सड़क पर इन चारों मुलजिमान द्वारा इकराम को पकड़कर बरछी, सरिए इत्यादि से उसकी मारपीट करने के कथन किए है। जहां तक अभियुक्त

(Downloaded on 28/05/2025 at 01:50:39 PM)

मोहम्मद अली व उसके पुत्र रफीक का प्रश्न है, जिस स्थान पर मृतक के साथ मारपीट कर घटना कारित किए जाने की साक्ष्य आई है, उस स्थान पर इन दोनों की मौजूदगी नहीं बताई गई है, परंतु मारपीट की घटना से पूर्व सभी अभियुक्त मोहम्मद अली के घर पर मौजूद होने एवं यहां से रवाना होने के तथ्य व प्रथम दृष्टया प्रमाण आए हैं।

09. धारा 147 व 149 भारतीय दंड संहिता के अपराध के लिए सर्वप्रथम धारा 141 भारतीय दंड संहिता पर विचार किया जाना न्यायोचित है, जिसके मुताबिक पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों द्वारा सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में इकट्ठे होना प्रथम दृष्ट्या आवश्यक है। धारा 141 भारतीय दंड संहिता के पश्चात धारा 142 भारतीय दंड संहिता में विधि विरुद्ध जमाव के सदस्यों के बारे में बताया गया है और धारा 143 भारतीय दंड संहिता में दण्ड का प्रावधान विधि विरुद्ध जमाव के सदस्यों के संबंध में किया गया है और धारा 146 भारतीय दंड संहिता में जब विधि विरुद्ध जमाव के सदस्यों द्वारा बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है तो दंगा करना माना जाता है और धारा 147 भारतीय दंड संहिता में दंगा करने के संबंध में दण्ड का प्रावधान किया गया है। तत्पश्चात् धारा 148 भारतीय दंड संहिता में विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य घातक हथियारों से लेस होकर दंगा करते हैं तो दण्डनीय अपराध बताया गया है। धारा 149 भारतीय दंड संहिता में यह बताया गया है कि गैर कानूनी जमाव के हर सदस्य उस अपराध का दोषी होगा, जो उस जमाव के किसी सदस्य ने सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया हो। इस प्रकार धारा 141 से 149 भारतीय दंड संहिता का संयुक्त रूप से अध्ययन करने पर यह स्पष्ट है कि धारा 147 के अपराध के लिए प्रार्थी-अभियुक्त का घटनास्थल पर विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य के रूप में मौजूद रहना आवश्यक है और धारा 149 भारतीय दंड संहिता के लिए प्रार्थी-अभियुक्त का मौके पर मौजूद होने के दौरान सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में सहअभियुक्त द्वारा कोई अपराध कारित किया जाता है तो प्रार्थी-अभियुक्त समान रूप से उत्तरदायी होता है।

10. उक्त विधिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में हस्तगत मामले में जब विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश में ही स्पष्ट कर दिया गया कि घटना के समय प्रार्थी-अभियुक्त मोहम्मद अली घटनास्थल पर मौजूद नहीं था। उस अवस्था में धारा 141 से 149 भारतीय दंड संहिता के प्रावधान प्रार्थी-अभियुक्त के संबंध में प्रथमदृष्ट्या ही लागू नहीं होते। ऐसी अवस्था में जो धारा 147, 342/149, 302/149 का आरोप लगाए जाने

(Downloaded on 28/05/2025 at 01:50:39 PM)

का आदेश दिनांक 19.08.2023 पारित किया गया और उसके आधार पर इन धाराओं में आरोप अलग से विरचित कर सुनाए गए वह आदेश निरस्त किया जाकर धारा 147, 342/149, 302/149 भारतीय दंड संहिता में प्रार्थी-अभियुक्त को उन्मोचित (डिस्चार्ज) किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

11. जहां तक धारा 120बी भारतीय दंड संहिता का प्रश्न है, धारा 120बी के लिए आपराधिक षड्यंत्र घटना से पूर्व होना आवश्यक है, जिसके संबंध में फर्द जप्ती एक डीवीआर जिसमें घटना से पूर्व आपराधिक षड्यंत्र बाबत सीसीटीवी फुटेज अजाने मुलजिम मोहम्मद अली खां के मकान का है तथा फर्द अवलोकन सीसीटीवी फुटेज मकान अजाने मुलजिम मोहम्मद अली खां के संबंध में दिनांक 07.08.2022 का विवेचन पुलिस द्वारा किया जाकर पत्रावली में शामिल किया गया है व अन्य दस्तावेज इस मामले में पेश किए गए हैं, जिन पर विचार कर प्रथम दृष्ट्या धारा 120बी भारतीय दंड संहिता में चार्ज लगाए जाने का आदेश किया गया और धारा 120बी भारतीय दंड संहिता में चार्ज लगाया गया है, जिसका विवचेन आक्षेपित आदेश दिनांक 19.08.2023 में किया गया है, जिस पर विचार किया गया है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी-अभियुक्त निगरानीकर्ता की ओर से जो आपत्तियां की गई, उन पर विचार कर समुचित आदेश पारित किया गया है। पुलिस द्वारा अपनी चार्जशीट में भी घटना के बारे में विस्तृत विवरण किया गया है, जिस पर विचार किया गया है। इस स्टेज पर प्रथम दृष्ट्या जो धारा 120बी भारतीय दंड संहिता का आरोप प्रार्थी-अभियुक्त पर लगाया गया, वह विधिसम्मत प्रतीत होता है, जिसमें हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। इस हद तक निगरानीकर्ता की निगरानी खारिज किए जाने योग्य है।

12. अतः इस मामले में निगरानीकर्ता की निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आक्षेपित आदेश दिनांकित 19.08.2023 प्रार्थी-अभियुक्त मोहम्मद अली खां की हद तक आंशिक रूप से धारा 147, 342/149, 302/149 भारतीय दंड संहिता में आरोप विरचित कर सुनाए जाने बाबत पारित आदेश निरस्त किया जाता है और प्रार्थी अभियुक्त निगरानीकर्ता मोहम्मद अली को धारा 147, 342/149, 302/149 भारतीय दंड संहिता में उन्मोचित (डिस्चार्ज) किया जाता है और निगरानीकर्ता की निगरानी धारा 120बी भारतीय दंड संहिता के आरोप की हद तक

(Downloaded on 28/05/2025 at 01:50:39 PM)

निरस्त की जाती है और विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का आक्षेपित आदेश दिनांक 19.08.2023 प्रार्थी-अभियुक्त पर जो धारा 120बी भारतीय दंड संहिता का चार्ज लगाए जाने का आदेश पारित किया गया व धारा 120बी भारतीय दंड संहिता में चार्ज लगाए गए, उस हद तक आदेश की पुष्टि की जाती है।

13. इस मामले में लंबित प्रार्थना पत्र यदि कोई हो तो वह भी निस्तारित समझा जावे। आदेश की एक प्रति विद्वान अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जाये।

(योगेंद्र कुमार पुरोहित), न्यायाधीश

3-कुमावत/-

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय केवल वादियों के अपनी भाषा में लाभ के लिए हैं तथा इनका किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। निर्णय का अंग्रेजी संस्करण सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए प्रामाणिक होगा और इसे लागू करने में प्राथमिकता दी जाएगी।

एडवोकेट विष्णु जांगिड़

(Downloaded on 28/05/2025 at 01:50:39 PM)